न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

कन्टेपट संख्या 06 / 2010

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सूरज सिंह पुत्र रामलाल आयु 62 वर्ष जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना (खेतड़ी) जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 जगमाल पुत्र रामलाल।
2 सत्यवीर सिंह पुत्र रामलाल।
3 उदयभान पुत्र रामलाल।
4 रणधीर सिंह पुत्र रामलाल समस्त जाति अहीर निवासीगण पांथरोली तहसील बुहाना (खेतड़ी) जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत ऑडर 39 रूल 2क तथा 151 सीपीसी बाबत कोर्ट ऑफ कन्टेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थित

1. श्री उम्मेद राज सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.12.2018

यह अवमानना आवेदन इस न्यायालय के द्वारा अपील में पारित स्थगन आदेश दिनांक 0806.2004 की अवमानना के सन्दर्भ में पेश किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 118/2004 में दिनांक 08.06.2004 को ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना की विवादित भूमि खसरा नम्बर 899,900 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए रेस्पोडेंट को पाबंद किया गया है। प्रार्थी द्वारा इस आदेश की नकल 09.06.2004 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। इस न्यायालय में दिनांक 30.10. 2004 को रेस्पोडेंट संख्या 7 से 13 की तामिल हो चुकी थी अर्थात उन्हे इस स्थगन आदेश की जानकारी हो चुकी थी इसके उपरान्त भी दिनांक 04.03.2009 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने विवादित भूमि का विक्रय कर दिया अत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये अवमानना आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के सन्दर्भ में इस न्यायालय द्वारा विक्रय नही करने बाबत कोई स्थगन आदेश जारी नही किया गया है ऐसी स्थिति में अवमानना आवेदन खारिज किया जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का विक्रय नही करने सम्बंधित कोई आदेश पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विक्रय के आधार पर स्थगन आदेश की अवमानना होना नही माना जा सकता है चूकि प्रार्थी की मूल अपील भी निर्णित की जा चुकी है फलस्वरूप अवमानना आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/12/18

(कस्तूर सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर